पुरस्कार वितरण समारोह

स्वरचित रचना प्रतियोगिता (पश्चिम जिला) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

श्री श्याम सुंदर, प्रथम पुरस्कार

मेरा भारत महान

9.5

भारत की ये संस्कृति दुनियां में सबसे पुरानी।
महान हुए शासक इसमें महान सभ्यताएं पाली।
आत्मनिर्भर भारत हुआ जग मै कृषि प्रधान।
ओद्योगिकृत देशों मै इसकी गिनती हुयी महान।

चाँद तक हम घूम आये देखी वहाँ की धरा।
हम भी जग मे एक हुए वहाँ कदम हमारा भी पड़ा।
हिमालय से ये शुरू होकर वर्षा वनों तक फैला।
पूरब मै बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में सागर मैला।

पश्चिम में महासागर हिन्द वृहत विशाल।
उत्तर में नदियों की रानी गंगा हुयी महान।
सभी धर्म के लोग बसे, सबका है सम्मान।
अलग-अलग है लोग सभी फिर भी इक पहचान।

रामायण और गीता ने सबक सिखाया दुनियां को।
जीरो का कर अविष्कार गणित पढ़ाया दुनियां को।
योग, रोग, विज्ञान जगत को भारत से उपहार मिले।
वेदो का दें ज्ञान सभी को जीना सिखलाया दुनिया को।

साहित्य जगत मे नाम अनोखे दिए हमारे भारत ने।
काली, तुलसी, वेदव्यास दिए हमारे भारत ने।
संगीत क्षेत्र मे भारत का सदा ऊँचा इतिहास रहा।
हरिदास और तानसेन भी दिए हमारे भारत ने।

यहाँ चौड़ी छाती वीरों की जो करते प्राण न्योछावर है।
डरते हैं दुश्मन हमसे जो हमसे भी कद्दावर हैं।
घर मै घुसकर मारा उसको जो दुश्मन सर पे कूदा है।
उसको ना छोड़ा हमने जो गया शोर मचाकर है।

अब रहा नही कुछ कहने को बिन कहे ही सबको ज्ञात है ये।
जननी वीरो की धरा यहाँ बिन कहे ही अब विख्यात है ये।
हर जनम रहुँ मै सदा यहाँ करू प्राण न्योछावर इस पर मै।
मै सदा रहुँ इस धरती पर, मेरे अब तो जज़्बात हैं ये।

श्याम सुन्दर

लेखक
श्याम सुंदर
अहलमद

पुरस्कार वितरण समारोह

स्वरचित रचना प्रतियोगिता (पश्चिम जिला) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

श्री महेश कुमार माटा, द्वितीय पुरस्कार

औरतः उम्मीदों से सिसकियों तक का सफ़र

लेखः (महेश कुमार माटा)

कोर्ट का कामकाज खत्म होते ही, जैसे ही ५ बजे, सुधा अपना बैग उठाकर तीव्र कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। मैं सेंट्रल हॉल से जैसे ही बाहर आया सुधा को जल्दी में देखकर बोला, "अरे मैडम ध्यान से, बहुत जल्दी में हो सब ठीक तो है"।

"अरे सर बस घर जाने की जल्दी है ६ बजते ही हसबैंड का फ़ोन आना शुरू हो जाता है कि कहाँ रह गई है तुझे घर की चिंता नहीं जल्दी निकल लिया कर ऑफिस से, बेटी को घर छोडूँगा तभी तो क्लास में जाऊँगा", इतना कहकर सुधा तेज़ी से मेट्रो स्टेशन की तरफ़ प्रस्थान कर गई।

हमारे समाज में जितनी भी कामकाजी महिलायें हैं, केवल सुधा ही नहीं अपितु सुधा की तरह लाखो महिलाओं की स्थिति लगभग ऐसी ही है। ऑफिस के बाद घर परिवार का तनाव बच्चों की चिंता सब कुछ औरतों को ही देखना पड़ता है। ऊपर से घर मे आने जाने वालों की खातिरदारी, लेन देन आवभगत और बड़ों की सेवा सत्कार सब उसी महिला को देखना होता है जो न केवल परिवार के असह्य बोझ तले दबी रहती है बल्कि अपनी "जॉब" को लेकर भी इतनी असुरक्षित रहती है कि उसे पूरी जिंदगी यही साबित करने में बीत जाती है कि वो जॉब करके कोई एहसान नहीं कर रही है बल्कि उसे अपने परिवार का एहसान मानना पड़ता है कि वो उसे जॉब करने दे रहे हैं।

लाजपत नगर की रहने वाली सृष्टि, इसका समाचार काफ़ी वायरल हुआ था। घर वालों के शोषण से परेशान होकर वो मानसिक रोगी हो चुकी थी। जिसकी क़ीमत उसे अपनी जॉब गँवाकर चुकानी पड़ी। कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाली सृष्टि ऑफिस में बॉस की सख्ती से सामान्यतः परेशान ही रहती थी। लेकिन उसकी परेशानी यहीं ख़त्म नहीं होती थी। घर जाने के बाद पति की गालियाँ सास की शिकायतें उसका नया अध्याय प्रारम्भ करते थे। सही मायने में साक्षी के लिए घर और ऑफिस दोनों ही शोषण का स्थल बन चुके थे। लिहाजा अपने जीवन की जटिलताओं से परेशान सृष्टि का मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसे उसकी बिगड़ी मानसिक स्थिति के कारण जॉब से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद एक दिन उसने आत्महत्या कर ली।

आज देश की १४० करोड़ की जनसंख्या में तकरीबन ७ करोड़ महिलायें किसी ना किसी व्यवसाय अथवा नौकरी में स्न्लग्न हैं। समानता के इस दौर में औरत का अपने पाँव पर खड़ा होना विकासशील देश के लिए अत्यंत गर्व की बात है। सामाजिक समानता का यह महत्वपूर्ण पहलू है। ध्यान देने की बात यह है कि आज सभी को विवाह के लिए पत्नी पढ़ी लिखी और अपने पांव पर खड़ी हुई चाहिए। विवाह के बाद पति पत्नी का मिल कर उत्तरदायित्व उठाना आज का महत्वपूर्ण विचार है, लेकिन कामकाजी महिला से विवाह के बाद क्या वास्तव में औरत संप्रभु रह पाती है? क्या नौकरी और परिवार में सामंजस्य बिठाने के दौरान उसका उसी के हमसफ़र द्वारा साथ दिया जाता है।

अभी कुछ दिन पहले मैं तीस हज़ारी की ही एक अदालत में किसी कार्यवश गया था जहाँ किसी पारिवारिक मामले में पति और पत्नी में बहस चल रही थी। उस बहस में मेरे कानों में एक वाक्य गूँज रहा था। उक्त महिला का अपने पति और ससुराल वालों पर यह आरोप था कि ऑफिस से घर पहुंचते ही उसके पति और सास को उसके हाथ की ही सब्ज़ी और रोटी चाहिए होती थी। बच्चा भी उसी महिला को संभालना होता था। बर्तन कपड़े सब उसी औरत को करने होते दे। जब उसे टाइफाइड हुआ तो उस स्थिति में भी घर का सारा काम उस से करवाया गया जिसके कारण वो मैक्स हॉस्पिटल में १५ दिन तक एडमिट रही। और उसका एक गंभीर आरोप यह भी था कि उसका पति उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार भी करता था जिसके कारण वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रही थी।

जरा सोचिए, यह उन महिलाओं की कहानी है जो कि किसी ना किसी रूप में आजीविका कमा रही हैं । कोई वयवसाय में है कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में तो कोई सरकारी नौकरी में, लेकिन ९९% महिलाओं की स्थिति लगभग एक जैसी है। आज भी समानता पर चर्चा करने वाले, समानता पर गोष्ठियां करने वाले, अधिकारों पर सेमिनार करने वाले समाज में औरत ही घर का काम भी देखती है बच्चों के अंक कम आने पर डाँट भी खाती है और किसी भी पर्व त्योहार पर पूरे पंडाल का पेट भरने का काम वही देखती है। आज भी कितने ही घरों में, जिनमे शिक्षित परिवारों का और भी बुरा हाल है, नहाने के बाद अपने अंतर्वस्त्र भी आदमी स्नानगृह में ही छोड़ देते हैं उनकी महिला के धोने हेतु।

अभी हाल ही में अप्रैल में मैं पंजाब गया था। किसी रिश्तेदार के यहाँ एक कार्यक्रम था। वहाँ एक

पति ने मेरी आँखो के सामने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया और मैंने क्या देखा बाकी परिवार के सभी सदस्य उस आदमी को दुत्कारने के बजाये उस औरत को यह समझाने का प्रयास कर रहे थे कि पति है गुस्सा आ गया इन बातों को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। मैं आश्चर्यचकित था। वो महिला कोटकपूरा में DCM INTERNATION SCHOOL में इंग्लिश की अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। संयोगवश उस अध्यापिका की ननद भी उनके साथ थी जो अपने पति को बार बार किसी ना किसी बात पर टोक रही थी। यहाँ अगर ध्यान से सोचा जाये तो क्या यह सामाजिक भेदभाव का उदाहरण नहीं है? प्रत्येक अभिभावक अपनी बेटी को तो प्रसन्न देखना चाहता है, अपने दामाद को बेटी की खातिरदारी करते देखना चाहता है किंतु बेटा बहू के साथ कितना भी ग़लत व्यवहार करता हो लेकिन अभिभावक बेटे की त्रुटियों को अनदेखा करने में विश्वास करते हैं। सामाजिक भेदभाव का ज्वलंत उदाहरण हमारे ही इलाक़े में मैं अक्सर देखता हूँ। यहाँ एक परिवार है जहाँ उस घर में एक माँ, बेटा और बहू रहते हैं। बहू दिल्ली जल बोर्ड में है। उसका पति कुछ नहीं करता। आए दिन उनके घर में लड़ने की आवाज आ रही होती है और उस महिला का शारीरिक उत्पीड़न अक्सर ही होता है। लेकिन जब भी उनके परिवार की पंचायत होती है सब उसी महिला को समझा कर जाते हैं कि कोई नहीं तेरा पति ही तो है ऐसे घर की बातों को बाहर नहीं उड़ाते।

"आख़िर हम किस सहभागिता पर अहंकार कर रहे हैं? वो सहभागिता जहाँ ग़लत होते हुए भी पति को केवल इसलिए क्षमा कर दिया जाता है क्यूंकि उसका स्थान पति परमेश्वर का है। औरत सही होते हुए भी केवल इसलिए ग़लत ठहरा दी जाती है क्यूंकि उसका ग़लत होना उसकी ननद को, उसकी सास को उसके पति को "लगता" है। केवल ग़लत "लगना" ही पर्याप्त है किसी को ग़लत प्रमाणित करने के लिए? आख़िर कैसे एक औरत घर, परिवार, रिश्ते, ऑफिस आदि में सामंजस्य बिठा सकती है जबकि हम उस समाज में रहते हैं जहाँ विहाह भी होता है तो वचन पत्नी ही नहीं पति भी लेता है लेकिन व्यावहारिक धरातल पर तो आज भी औरत ही ग़लत ठहरायी जा रही है, औरत ही बच्चों के भविष्य का उत्तरदायी ठहरायी जा रही है और औरत ही घर की बहू कम नौकरानी ज़्यादा बनायी जा रही है, और अपवाद में यदि कोई औरत अपने अधिकार के लिए खड़ी भी होती है तो उसे उन औरतों का हवाला देकर ग़लत साबित करने की कोशिश की जाती है जो गिने चुने मामलों में पुरुषों के साथ ग़लत व्यहवार में लिप्त होती हैं, जबकि ऐसे मामले बहुत ही कम होते हैं जिन्हें हम समाज का आदर्श मान कर प्रस्तुत नहीं कर सकते। अगर २% महिलायें ग़लत गतिविधियों में संलग्न होंगी भी तो भी ९०% सामाजिक असमानता में लिप्त पुरुष समाज को हम न्यायोचित नहीं ठहरा सकते"

लिहाजा, आज हम जबकि विश्व में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर हैं हमे सामाजिक विषमता को समाप्त करने पर बल देना होगा। यह तभी होगा जब महिलाओं के साथ असमानता को पूर्णरूपेण समाप्त किया जाये। विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं को उन्हें घर में ही जब तक समानता पूर्वक नहीं अपनाया जाएगा, सामाजिक दृष्टि से आज औरत को वर्तमान समाज से जो उम्मीदें हैं वो सिसकियों में ही परिवर्तित होती रहेंगी। अब यह हमे तय करना है कि जो महिला एक सशक्त समाज का निर्माण करने का दम रखती है उस महिला को हम आजीवन सिसकियों में धकेल सकते हैं या उसकी उम्मीदों को साकार रूप लेते हुए देखना चाहते हैं।

:——————:

प्रस्तुत लेख मेरी स्वलिखित रचना है व केवल दिल्ली ज़िला न्यायालय, पश्चिम जिला द्वारा आयोजित हिंदी लेखन प्रतियोगिता हेतु लिखी गई है।

१०/०६/२०२५

महेश कुमार माटा
न्यायिक सहायक
तैनाती स्थल: न्यायालय श्री विकास मदान
दीवानी न्यायाधीश ०१ (पश्चिमी जिला)
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली:११००५४

दूरभाष: 9711782028
ईमेल: mk123mk1234@gmail.com

पुरस्कार वितरण समारोह

स्वरचित रचना प्रतियोगिता (पश्चिम जिला) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

श्री भारत खोरवाल, निजी सहायक, तृतीय पुरस्कार

85

हिंदी भाषा का महत्व

हिंदी भारत की राजभाषा होने के साथ-साथ हमारी संस्कृति, सभ्यता और पहचान की मूल धारा है। यह न केवल संप्रेषण का माध्यम है, बल्कि देश की आत्मा और भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिसे करोड़ों लोग अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं।

हिंदी भाषा में वह सामर्थ्य है, जो देश के कोने-कोने में विभिन्न भाषाओं, बोलियों और संस्कृतियों को जोड़ने का कार्य करती है। यह भाषा एक ऐसा सेतु है जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत की विविधता में एकता को सुदृढ़ करता है।

आज के वैश्विक युग में भी हिंदी ने तकनीक, साहित्य, विज्ञान, मीडिया और प्रशासन के क्षेत्र में अपने प्रभाव को बनाए रखा है। इंटरनेट पर हिंदी सामग्री की मांग निरंतर बढ़ रही है और मोबाइल एप्स व सरकारी सेवाएं भी अब हिंदी में उपलब्ध कराई जा रही हैं।

हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस भाषा को बोलते हैं, जिसमें संत कबीर, तुलसीदास, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन जैसे महान साहित्यकारों ने रचना की है।

हिंदी केवल भाषा नहीं, भाव है। यह वह भाव है जो देश को जोड़ता है, देशवासियों को एक-दूसरे के करीब लाता है और हमारी राष्ट्रीय एकता को सशक्त बनाता है। अतः हमें हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए और इसे अपने कार्यस्थल, सामाजिक जीवन और संचार में प्रमुख स्थान देना चाहिए।

भारत खोरवाल

द्वारा – भारत खोरवाल,
व्यक्तिगत सहायक, न्यायालय श्रीमती पूनम सिंह,
JMFC (NI Act-04), पश्चिम जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली
कर्मचारी कोड: 72531105

8.5

पुरस्कार वितरण समारोह

स्वरचित रचना प्रतियोगिता (पश्चिम जिला) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

सुश्री रीना सेमवाल (प्रोत्साहन पुरस्कार)

न्यायलयों की बदलती कार्यशैली

न्यायलय एक ऐसा स्थान है जहाँ अन्याय से पीड़ीत व्यक्ति न्याय पाने की उम्मीद से आता है। उसे अपेक्षा होती है कि उसके साथ गलत नहीं होगा। उसे न्याय व्यवस्था पर भरोसा होता है। तभी तो कई बार अधिक समय बीत जाने के बाद भी पीड़ीत व्यक्ति को एक आशा होती है कि उसे न्याय मिलेगा। न्यायलयों पर लोगों का इतना विश्वास होता है कि कई बार लोग पंचायतों द्वारा किए गए फैसले पर राज़ी या सहमत नहीं होते या पारिवारिक फैसलों को स्वीकार नहीं करते लेकिन न्यायलय के फैसलों को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं।

अदालतों में लोगों की आस्था है और लोगों का कानून व्यवस्था पर विश्वास बना रहे इसलिए हमारे न्यायलयों ने समय के साथ-साथ लोगों की आवश्यकताओं, अधिकारों और हितों को ध्यान में रखते हुए जरूरी बदलाव किए हैं और लोगों की अपेक्षाओं का मान रखा है। न्यायलयों की कार्यशैली में कुछ इस

(8)

श्री... सेम्प्रल

तरह से बदलाव हुए हैं कि अब लोगों को न्याय पाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। पुराने मुकदमों में फैसले जल्दी किए जा रहे हैं। लोगों को मुकदमा दायर करने में परेशानी न हो इसलिए ये सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है। बाद में वो न्यायलय में आकर अपनी ओर से जरूरी दस्तावेज जमा करवा सकते हैं। पक्षकार अपने मुकदमें की स्थिति के बारे में जान पाएं इसलिए सभी मुकदमों की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाती है जोकि पहले नहीं होता था। अब किसी भी दावे के बारे में जानकारी संबंधित दावे के दोनों पक्षकार संबंधित कोर्ट की वेबसाइट से अपना केस/दावे का विवरण डालकर ले सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई पीड़ित व्यक्ति अपना मुकदमा लडने में आर्थिक रूप से असमर्थ है तो उसको निःशुल्क कानूनी सहायता भी दी जाती है। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) की स्थापना हुई जो आर्थिक

रूप से कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अगर मुकदमें के चलते यदि कोई सुलह की संभावना है तो मध्यस्थता केन्द्र की भी सुविधा है। दोनों पक्षकार वहाँ जाकर समझौता कर सकते हैं। इसके लिए अनुभवी मध्यस्थ नियुक्त किए जाते हैं और इस तरह पुराने से पुराने मामले आसानी से सुलझ जाते हैं। न्यायलयों ने इस तरह अपनी कार्यशैली को बना दिया है कि मुकदमों का आसानी से निपटारा हो सके।

अब लोग किसी भी जगह पर हो चाहे वह विश्व का कोई भी स्थान हो वहाँ से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए न्यायलयों ने अपनी कार्यशैली को प्रभावशाली बनाने के लिए हर अदालत में इंटरनेट वाईफाई (Internet Wifi) की सुविधा तथा वेब कैमरा, स्पीकर इत्यादि की व्यवस्था की गई है ताकि मुकदमे की कार्यवाही में कोई बाधा न हो जोकि न्यायलयों की बदलती कार्यशैली का प्रमाण है।

रीना सेमवाल

समय-समय पर न्यायलयों की कार्यशैली को तीव्र करने के उद्देश्य से ऐसे दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं जिससे मामलों का निपटारा जल्दी हो। यातायात और बिजली के चालानों के निपटारे के लिए लोक अदालतें लगाई जाती हैं और संबन्धित मामलों को खत्म करने की संभावना को प्राथमिकता दी जाती है।

कुछ जरूरी या बहुत पुराने मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाता है और उनका निष्पादन जल्दी किया जाता है।

न्यायलयों की बदलती कार्यशैली ने समय और धन के अपव्यय को काफी हद तक कम कर दिया है। कुछ वर्षों पहले तक ये सुविधायें बिल्कुल भी न थीं। ये सब बदलाव करना इतना आसान नहीं था यदि हमारे न्यायलयों के न्यायधीश इसको करने का दायित्व न उठाते। उन्होंने लोगों की परेशानियों को महसूस किया। हर तरह से कठिनाइयों और मुकदमों के दौरान होने वाली समस्याओं का

निरिक्षण किया और फिर न्यायलयों की कार्यशैली में कुछ आवश्यक बदलाव हुए जिसने लोगों, पक्षकारों और पीड़ित व्यक्तियों के काम को आसान कर दिया। पहले लोग न्यायलय अपने मुकदमों की तारीखों में देर से पहुँचते थे क्योंकि लोग दूर-दूर से आते थे। इसलिए अलग-अलग क्षेत्र (zone) के हिसाब से न्यायलयों का निर्माण हुआ ताकि लोगों को इधर-उधर न भटकना पड़े और उनके घर के नजदीक ही न्यायलय की व्यवस्था हो, जिससे उनका समय और खर्चा भी बच सके।

इसी तरह कुछ साल पहले तक लोग कोर्ट की कार्यवाही से अनभिज्ञ रहते थे लेकिन आज Ciscowebex (न्यायलय की कार्यवाही को देखने का माध्यम) की प्राक्रिया से अपने मुकदमे की कार्यवाही, कुछ जरूरी दिशा-निर्देशों का पालन करके, देख व समझ सकते हैं।

शीना सेमवाल

कोरोना महामारी के दौरान लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे और कुछ भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था। उस समय मुकदमों की सुनवाई विडियो कान्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के माध्यम से होती थी। पक्षकार अपनी बात इस जरिये से न्यायालय के समक्ष रख पाते थे। इसी तरह अगर कोई दस्तावेज न्यायालय में देना हो तो पक्षकार ई-मेल के जरिये से दे देता था। न्यायालयों की बदलती कार्यशैली ने उनके कार्य को आसान कर दिया।

कुछ मुकदमों के जल्दी विचारण (trial) के लिए फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाए गए ताकि मुकदमों का तेजी से निष्पादन हो और प्रभावशाली ढंग से हो। इसी कारण 'निर्भया' जैसे बहुचर्चित मुकदमे का फैसला सभी साक्ष्यों के आधार पर और गहन विचार करके जल्दी किया गया और गुनहगारों को सजा मिली तथा पीड़िता (मृत) के परिवारजनों को न्याय मिला।

न्यायलयों द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के कारण अब कोई भी किसी को पथभ्रष्ट (misguide) नहीं कर सकता। अब दलाल या बिचौलियों की भूमिका बहुत कम हो गई है या हम यों कहें कि लगभग समाप्त सी हो गई है तो ये कहना गलत नहीं होगा। लोग अब सतर्क हो गए हैं। वो न्यायलयों की कार्यवाही के प्रति जागरूक हो गए हैं क्योंकि उनके पास अब कई विकल्प उपलब्ध हैं जिसके जरिये वे न्यायलय में जाकर न्याय की गुहार लगा सकते हैं। पीड़ित लोग सीधे न्यायलय से सम्पर्क कर सकते हैं। लोगों के अंदर अदालतों के प्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न हो गई है क्योंकि लोग न्यायलयों की कार्यशैली से वाकिफ़ हो गए हैं।

ये न्यायलयों की बदलती कार्यशैली का प्रभाव है कि प्रार्थी बड़ी आसानी से अपनी बात न्यायलय के सामने

रीना सैमवाल

अपनी बात रख सकता है क्योंकि एक आम आदमी के लिए ये आसान कर दिया गया है। अब अदालत के आदेश या फैसले (Judgment) की प्रति के लिए प्रार्थी या याचिकाकर्ता को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। कोर्ट की कार्यशैली को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि कुछ अंतरिम आदेशों, जमानत के आदेश, और गवाही की प्रति उसी दिन उपलब्ध हो जाती है और फैसले तथा आदेश की प्रति भी अदालत की वेबसाईट पर उपलब्ध हो जाती है। लोगों के हितों को ध्यान में रखकर दिन-प्रतिदिन ये परिवर्तन किए गए हैं और किए भी जा रहे हैं।

सारा कार्य नियमित रूप से बिना रुकावट के चलता रहे इसके लिए अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी और इसलिए उपयुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिससे एक तरफ तो युवाओं को रोज़गार के अवसर मिले,

तो दूसरी तरफ अदालतों के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक कर्मचारियों की पूर्ति भी हुई है।

आधुनिकता के इस दौर में हमारे देश में न्यायलय डिजिटल/अंकीय सामग्री का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके अपनी कार्यशैली को प्रभावी बना रहे हैं और पूर्ण एवं प्रभावशाली रूप से अपने कार्य को करने में सक्षम और अग्रसर हैं।

अतं में कहा जा सकता है कि न्यायलयों की कार्यशैली ने न केवल प्रार्थियों, याचिकाकर्ताओं, पीड़ितों इत्यादि की चिंताओं और परेशानियों को कम किया है बल्कि सही मायने में कानून और उसकी कार्यशैली का तालमेल बिठाकर एक वर्चस्व कायम किया है। हमें गर्व है कि हम इस कार्यशैली का हिस्सा हैं।

रीना सेमवाल

(रीना सेमवाल)

प्रमाणपत्र

यह रचना मेरी स्वरचित रचना है
जो कहीं भी प्रकाशित नहीं हुई है
तथा इस रचना के लिए मैंने
कहीं से कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं
किया है।

रीना सेमवाल

रीना सेमवाल
कर्मचारी कूट सं०: 57210052
कोर्ट: श्री विकास मदान
दीवानी न्यायधीश (पश्चिम)
तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली
कमरा नं०: 118
वरिष्ठ आशुलिपिक

पुरस्कार वितरण समारोह

स्वरचित रचना प्रतियोगिता (पश्चिम जिला) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

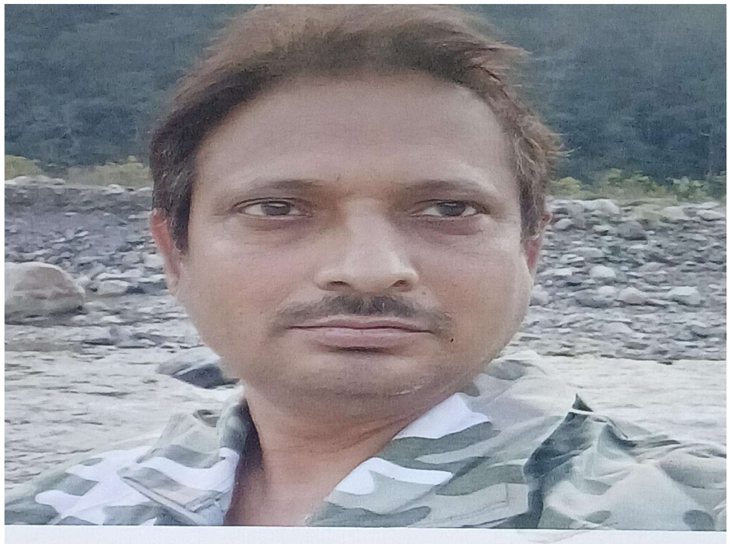

श्री अशोक वर्मा (प्रोत्साहन पुरस्कार)

मेरी प्यारी हिन्दी

देशों में ये देश निराला, प्यारा और अलबेला है।
हर पल यहाँ अनूठा और हर दिन पावन बेला है।।
देशों में ये देश अनोखा, सुन्दर बड़ा अनूठा है।
हर दिन इक त्यौहार यहाँ पर, हर दिन सुन्दर बेला है।।

हिन्दी भाषा प्यारी अपनी उन्नति का ये मूल है।
निज भाषा विहिन ह्रदय में रहता सदा एक शूल है।।
अग्रेंजी के ज्ञान को पाकर ना सोचो गुण प्रवीन हो।
बिना मातृभाषा के तुम तो हीन के हीन हो।।

तब ही खुद को उन्नत समझो, जब देश उन्नति होय।
बिन हिन्दी सीखे बिना, रहत मूढ़ सब कोय।।
राग अनेक पैदा किये, समझायो बैराग।
बिन हिन्दी समझे बिना, मिटे ना मन की आग।।

संविधान में जगह बनाकर आज भी ये तार–तार है।
कुछ लोगों की नजरों में हिन्दी बड़ी बेकार है।।
हिन्दी को जो हीन समझते, दूर भागते हिन्दी से।
मेरी नजरों में उन लोगों का जीना ही बेकार है।।

कलम से –

अशोक

(अशोक कुमार वर्मा)
पेशकार, श्रीमति पूनम सिंह
न्यायिक दण्ड़ाधिकारी–प्रथम श्रेणी (पश्चिम)
(एन आई एक्ट) –04
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
क.कू.सं : 64880147

पुरस्कार वितरण समारोह

स्वरचित रचना प्रतियोगिता (पश्चिम जिला) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

श्री अरविन्द लाल (न्यायिक सहायक) प्रोत्साहन पुरस्कार

स्वरचित रचना प्रतियोगिता-2025

लेख

"डिजिटल युग मे बच्चों की सुरक्षा"

21वीं सदी को "डिजिटल युग कहा जाता है, जहां तकनीक ने जीवन को आसान बना दिया है। स्मार्ट फोन, इंटरनेट और सोशल मिडिया अब बच्चों तक भी आसानी से पहुंच चुके हैं लेकिन जितनी तेजी से तकनीक ने विकास किया है, उतनी ही तेजी से जोखिम भी बढ़े हैं- खासकर बच्चों के लिए। आज के समय में बच्चों की सुरक्षा केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और डिजिटल स्तर पर भी जरूरी हो गई है।

बच्चों की सुरक्षा मे परिवार की भुमिका :-

सबसे पहला सुरक्षा कवच परिवार है जो की किसी भी बच्चे की पहली पाठशाला है। माता-पिता को चाहिए कि वे न सिर्फ बच्चो को मोबाइल या इंटरनेट चलाना सिखाएं, बल्कि उन्हें यह भी बताएं कि क्या सही है और क्या गलत।

⇒ बच्चों के स्क्रीन टाइम पर नजर रखी जाए।

⇒ उनके सोशल मिडिया एकाउंट्स से परिचित रहें।

⇒ "गुड टच और बैड टच", "आनलाइन फ्राड", "अजनाबयों से बातचीत" जैसी बातें और व्यवहार के बारे मे समय-समय पर समझाया जाये।

=> विश्वास का माहौल बनाया जाए जिससे अगर वे किसी परेशानी का सामना करें तो वे अपने माता-पिता या किसी विश्वसनीय व्यस्क से बेझिझक बात कर सके।

बच्चों की सुरक्षा मे समाज की भूमिका :-

परिवार के बाद, समाज बच्चों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि सामाजिक परिवेश संवेदनशील जिम्मेदार हो, तो बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधो को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसमे,

शिक्षण संस्थानों की जिम्मेदारी :- स्कूलों को चाहिए की वो बच्चो को साइबर जागरूकता, डिजिटल नैतिकता और सुरक्षा के बारे में नियमित रूप से जागरूक करे, नैतिक शिक्षा, यौन शिक्षा और आत्म सुरक्षा जैसे विषयो को पाठ्यक्रम मे शामिल किया जाए।

सामुदायिक सहयोग :-

मोहल्ले और कालोनियों में बाल मित्र पर्यावरण तैयार किया जाये; जहां बच्चे सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।

सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा :-

खेल के मैदान, पार्क, लाइब्रेरी, ट्यूशन संस्थान जैसी जगहों पर बच्चों की गतिविधियों पर निगरानी रखने वाले वालंटियर्स या सीसीटीवी कैमरे जैसी व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए।

सोशल मिडिया और इंटरनेट बच्चों के लिए ज्ञान और मनोरंजन का साधन तो है लेकिन यह भी सच है कि इन्हीं प्लेटफार्म के जरिये बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। बच्चों को ऑनलाइन तंग करना, ट्रोल करना या अपमानजनक संदेश भेजना अब आम हो चुका है। कुछ लोग सोशल मिडिया के जरिए बच्चों से दोस्ती करके धीरे-धीरे उन्हें यौन शोषण या ब्लैकमेलिंग के जाल में फँसा देते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध पोर्नोग्राफिक सामग्री बच्चों के मानसिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर देते हैं।

इसलिए डिजिटल लिटरेसी आज के युग में उतनी ही जरूरी है जितनी शैक्षिक ज्ञान।

कानून की भूमिका :- विधिक सुरक्षा कवच :-

सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए हैं, जिनका प्रभाव तभी होगा जब उसके बारे में समाज जागरूक होगा।

कुछ कानून हैं जैसे:-

Pocso Act (2012):-

"Protection of children from Sexual offence" यानि Pocso Act बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के यौन अपराध के लिए विशेष कानून है। अब फास्ट ट्रेक कोर्टस के माध्यम से मामलों को अति शीघ्रता-शीघ्र निपटारा हो रहा है। इसमें पिड़ित की पहचान गोपनीय रखी जाती है और बच्चों के हितों की रक्षा की जाती है।

आईटी एक्ट (2000):-

यह कानून ऑनलाइन अपराधों को नियंत्रित करने के लिए बना है, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर शोषण पर सख्त दण्ड देने का प्रावधान है।

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (2015):-

इस कानून में नाबालिगों के साथ होने वाले अपराधों और उनके अधिकारों की रक्षा का प्रावधान है।

साइबर क्राइम सेल :-

भारत के हर राज्य और जिले में साइबर सेल कार्यरत है जहाँ ऑनलाइन अपराधों की रिपोर्ट की जाती है, बच्चा या माता-पिता अगर किसी आपत्तिजनक सामाग्री या शोषण का अनुभव करें तो तुरंत इसकी सुचना दी जा सकती है।

मिडिया और सोशल मिडिया की साकारात्मक भूमिका :-

=> जागरूकता अभियान :-

सरकार और निजि संस्थान मिलकर सोशल मिडिया के माध्यम से POCSO कानून, चाइल्ड हेल्पलाइन (1098), और बच्चों के अधिकारो पर जागरूकता फैला सकते है।

साकारात्मक कदम :-

जब किसी अपराधी को कठोर सजा मिलती है, तो उस निर्णय को सोशल मिडिया के माध्यम से समाज तक पहुँचाया जा सकता है ताकि यह दूसरों के लिए एक सबक बन सके और इस प्रकार अपराधो को रोका जा सके।

सोशल मिडिया को बच्चों के लिए एक ऐसा मं... बनाया जाना चाहिए जहां वे खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें और वे सुरक्षित रूप से बिना किसी डर के अपनी बात रख सकें।

डिजिटल युग ने जितने अवसर दिये हैं; उतने ही खतरें भी खड़े हैं आज माता-पिता अपने बच्चों को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते है।

बच्चों को ज्ञान, सुविधा और मनोरंजन के साथ-साथ सुरक्षा की भी आवश्यकता है। यह सुरक्षा तभी संभव है जब परिवार सतर्क रहे, समाज बच्चों के प्रति संवेदनशील हो और सरकार सशक्त हो। कानून अपना कार्य कर रहा है, लेकिन जब तक समाज और परिवार जागरूक नहीं होंगे, तब तक बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा सम्भव नहीं है।

इसलिए :-

"तकनीक का उपयोग होना चाहिए लेकिन सावधानी के साथ। बच्चों को आजादी तो है लेकिन एक सुरक्षा के घेरे में"।

Arvind Lal
JA/Reader in the Court of
Ms. Babita Puniya, Id. ASJ/FTSC
...

प्रमाण-पत्र

मैं अरविन्द लाल JA/रीडर यह प्रमाणित करता हूँ कि प्रेषित रचना मेरी स्वरचित रचना है तथा यह पहले कहीं प्रकाशित नहीं हुई है।

Arvind Lal 11/6/25

अरविन्द लाल

JA/Reader In the court
of Ms. Babita Puniya
Ld. ASJ/POCSO/FTSC-02/
West District THC.

Emp. Code - 23101319

Ph. No. 9250585755

पुरस्कार वितरण समारोह

स्वरचित रचना प्रतियोगिता (पश्चिम जिला) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

श्री अनंत कुमार, न्यायिक सहायक (प्रोत्साहन पुरस्कार)

"टूटते संस्कार - जुड़ते साधन"

आज के युग को देखा जाए तो संस्कार के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। समाज मे संस्कारों अपना एक अलग स्थान है। समाज के बिना संस्कारों का कोई मूल्य नही है।

सभ्य समाज की यदि परिभाषा बतानी हो तो मैं सीधे शब्दों मे यही कहूंगा कि कई परिवार जब एक साथ मिलकर रहते हो वही सभ्य समाज कहलाता है। जिसमे रिश्तो का एक अलग भूमिका रहती है। चाहे वो माँ - बेटे का हो या दादा - दादी का इत्यादि का ही क्यो न हो,

पारिवारिक रिश्तो मे बुजुर्गों द्वारा संस्कार का बीजरोपण किया जाता रहा है। जिसमे सबसे पहले आने वाली पीढ़ी के उद्देश्यो के मूल्यो की स्थापना की जाती है जिसके अंतर्गत शिक्षा, नैतिकता, सामाजिक और व्यवहारिक मूल्य समाहित रहते है।

जन्म से मृत्यु तक चलने वाली क्रिया मे संस्कार के अंश होते है। मेरा तो यही मानना है कि किसी का मान, सम्मान, आदर करना ही संस्कार को दर्शाता है। साथ ही समाज मे सुदृढ़ कल्पना पर आधारित रहता है,

भारतीय समाज मे हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोग रहते है, जिनमे

6.5

धर्म, जाति, वर्ग निचला वर्ग, उच्च जाति के लोग निवास करते है, जिनमें इनका खान-पान, वेश-भूषा, रुचि आदि विपरीत होते है।

किन्तु फिर भी किसी एक जगह सम्मेलन, बर्थडे, शादी, इत्यादि जैसे अवसर पर मिलजुल कर इकट्ठा हो जाते है, जो कि लोगों को समाज की एक विशेष प्रेम वाली कड़ी में जोड़ता है।

~~समाज में बढ़ोत्तरी~~

समाज का परिवेश :- आज का समाज बड़ा विचित्र दिखता है। आधुनिक समय में स्वार्थी और महत्वकांक्षी की दौड़ में व्यक्ति समाज से बहुत दूर चला गया है। जैसा पहले लोग आपस में सुख-दुख की बाते करते थे, साथ ही एक दूसरे की मदद बिना कहे किया करते थे।

आज युग में सभी प्रकार के लोग अपनी खुशी - सुख - दुख को दबाकर झूठ का दिखावा करते हैं, बड़े-बड़े समारोह में अजीबोगरीब तत्वों का प्रदर्शन कर अपनी सारी मर्यादा भूल जाते है। आज समाज के युवा वर्ग को लिया जाए तो एक कमी हो तो बताया जाए।? धूम्रपान, नशा, अपशब्दों का प्रयोग, लोभ, स्वार्थ इत्यादि से वशीभूत

होकर एक दूसरे को नीचा दिखाने मे लगे रहते है. कोई व्यक्ति दुखी है तो उसे देख लोग मुख मोड़ लेते है।

कहने के लिए भारतवर्ष मे अनेको समाजसेवी संस्थाए है जो कार्यरत है, किन्तु वह सभी राजनीति से भली भाति प्रेरित है, शायद यही कारन है की लोग एक दूसरे पर विश्वास करने मे असमर्थ है।

ठिठुरते संस्कार :- से मेरा अभिप्राय यही है! जो आजकल लगभग सभी घरो के बुजुर्गो के साथ हो रहा है, न उनके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, न ही इज्जत की जा रही है जिसमे मेरा मानना है। कि कही न कही माता-पिता के परि पति परवरिश मे कमी रह गई है जो कि आज कल बच्चे, जवान, बेटा-बेटी बुजुर्गो दादा-दादी के लिए घर मे कोई Respect/स्थान नही देना चाहता है, इसका परिणाम ज्यादा कुछ नही हमारे सामाजिक परंपरा, संस्कार परोपकार, स्नेह, ममता का "लोप" होना लाजमी बन जाता है।

नए उपकरणो मे ~~व्यस्त~~ व्यस्त युवा वर्ग:-

संस्कारो को भूलने-भुलाने मे जिस प्रकार मोबाइल ने युवा वर्ग से लेकर

बच्चों तक के दिमाग मे "आग मे घी डालने का काम भलीभांति रूप से किया है।
जो हाथ प्रार्थना के लिए सुबह उठते थे वो आज मोबाइल पर Good morning

emoji बन कर रह गए है।

मेरा अपना मत है कि इस प्रक्रिया को थोड़ा रोका जाए और स्वयं माता-पिता अपने बच्चों, भाई-बहन को बताए/सिखाए की संस्कार, मंत्र, आदर करना जो हमारी सभ्यता ने सिखाया है।

1. बड़ो का पैर छूकर आशीर्वाद लेना
2 ऊंची आवाज मे बात न करना,
3. हमेशा माता-पिता की बातो की अवेलना करना
4. सबसे खास बात मोबाइल का प्रयोग तय सीमा तक उपयोग करना,
5. प्रभु मे विश्वास, आस्था, आदर्श रूप को अपनाना

युवा वर्ग मे मानसिक जागरूकता अति आवश्यक है, चूंकि मशीनीकरण युग मे हर कार्य बटन देवाय नमः (play store) पर उपलब्ध हो गया है जिससे बच्चे तो बच्चे उनकी माताए अधिक ~~सबकि~~ shopping, coustume, make up kit ~~इस्तमाल की~~ कि आदि हो चुकि है, पति देख बच्चे कहा पिछे रहने वाले है, copy

Copy-Paste करने मे उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नही है, तो कहीं न कहीं मुझे वह कहावत बार-बार याद आती है, "जैसी करनी वैसी भरनी" —चूंकि मोबाइल हर किसी के घर मे नही पॉकेट मे उपलब्ध रहता है। और सभी लोग भलीभांति परिचित है कि यह परमाणु बम हमारा क्या से क्या छीनता जा रहा है।

(1) समय को चुटकी बजाते खा जाता है।

(2) "REELS" आजकल सर्वप्रथम मनोरंजन का साधन बन गया है,

(3) हर बात-बात पर फोन निकाल लेना. अपने से ज्यादा तवज्जो देना

(4) बच्चे खाना खाए तो
* पढ़ाई करे तो
* खेलना हो तो
* बात करनी हो तो
* जानकारी चाहिए तो

यहाँ तक कि Good morning + night. से लेकर लोगो की मृत्यु पर emoji cartoon 😢 ॐ शांति जैसे logo भेज कर सांत्वना भी दी जाने लगी है।

शायद किसी ने सच ही कहा है कि "शिक्षा आप कहीं से भी ले लो, किंतु संस्कार केवल घर से ही मिलते हैं।"

जहाँ तक हो सका मैंने अपनी बातों को एक सभ्य समाज के समक्ष रखने की कोशिश की है, जिसमें अपने संस्कारों को बचाया जा सके और अपनी परंपरा, विरासत को बचाया जा सके। एक वाक्य में कहूँ तो समाज में रहने वाला व्यक्ति विचारों को छोड़कर भावनाओं का दम घोंटकर चिंतन की चिता जलाकर, मशीनीकरण उपकरणों में अपना पूर्ण योगदान दे रहा है।

संस्कार विहिन समाज :- अपने दायित्व के प्रति सजग रहना एवं सुदृढ़ दिनचर्या के अनुसार अपने आप को ठीक रखते हुए समाज में दीन दुखियों की मदद करना, चिड़ियों के लिए पानी का प्रबंध, भूखे को भोजन देना आदि इस प्रकार के नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को समाहित करते हुए जो कि समाज का एक परिदृश्य था वो कहीं न कहीं खो गया है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

विनम्रता, दया, दान, दक्षिणा, का नाम मात्र सुनाई देता है और तो और मनमाने ढंग से तरह-तरह के कुकृत्य करते हैं, जिससे समाज और अंधकार की तरफ धसता चला जा रहा है।

यदि युवा वर्ग जागरूक न हुआ तो छोटे-छोटे इसके घातक परिणाम उठाने पड़ेंगे।

संस्कार युक्त समाज :

आज के समय को देख यही लगता है कि हमारे उत्तम समाज के लिए नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृति मूल्यों का प्रचार एवं प्रसार होना अति आवश्यक बन जाता है। लोगों को प्रकृति से जोड़ा जाना चाहिए, ईश्वर मे आस्था, धर्म मे निष्ठा, साथ ही परोपकारी, हृदय मे दया, भक्ति इत्यादि मूल्यों का समावेश होना ही चाहिए।

कुछ निम्नलिखित संदेश अवश्य बताना चाहता हूँ जिसे युवा वर्ग पढ कर अपनी जीवन मे जरूर अपनाए।

" महाजनो येन गतः स पन्थाः"

इसका तात्पर्य यह है, हमारे ऋषि मुनि मोक्ष मार्ग पर गए हो वही हमरा लक्ष्य हो, न कि भौतिक भोग - विलास मात्र।

कुछ पुस्तके अवश्य पढे जिनमे कुछ इस प्रकार है " महाभारत, ★ रामायण, ★ ~~गीता~~, श्री भागवत गीता ★ "

यकीन मानिए हिंदू धर्म की ये पुस्तक आपके मन मस्तिष्क को ~~खोल~~ द्वार खोल देगी।

साथ ही पुस्तके ही सच्ची मित्र होती है, ज्ञान से ज्ञान बढाने के लिए इनमे आस्था और विश्वास दोनो ही लिप्त है।

बस इन्ही शब्दों के साथ मेरा सभी को

"जय श्री राम"

अनंत
12/6/25

अनन्त कुमार (जे.ए)

अहलमद

56919201

श्री संजीव अग्रवाल (कमर्शियल-04)
कमरा संख्या 202
(एक्सटेंशन ब्लॉक
तीस हजारी, दिल्ली)

12

राजभाषा हिन्दी अनुभाग (पश्चिम जिला)

कक्ष संख्या 238, द्वितीय तल,
तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
(दूरभाष - 011-23950919, विस्तार 1238)

भेजने की अंतिम तारीख: 31.05.2025

विविध हिन्दी प्रतियोगिताएँ
स्वरचित रचना प्रतियोगिता-2025

...त्र के सभी कॉलम अवश्य भरें, किसी भी कॉलम को रिक्त न छोड़ें।

1. कर्मचारी का नाम: अनन्त कुमार
2. पिता/पति का नाम: ब्रजमोहन ठाकुर
3. पदनाम: न्यायिक सहायक
4. कर्मचारी की कूट संख्या: 56919201
5. वर्तमान तैनाती स्थल: जिला न्यायधीश (वाणिज्यक) 04 कोर्ट संख्या 202, बसस्टैशन ब्लाक पश्चिम दिल्ली
6. ई-मेल पता: अनंत कुमार ठाकुर 073 @ याहू . कॉम
7. मोबाइल नंबर: 9868238749

❖ नियमानुसार इच्छुक कर्मचारियों द्वारा प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य है कि प्रतियोगिता हेतु प्रेषित रचना उनकी स्वरचित है तथा यह पहले कहीं प्रकाशित नहीं हुई है।

कृपया आवेदन करते हुए पूर्व प्रेषित नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपनी रचना हस्ताक्षर सहित बंद लिफाफे में भेजें। हिन्दी में किए गए हस्ताक्षर अपना विशेष प्रभाव रखते हैं।

अनंत
13/06/2025
कर्मचारी के हस्ताक्षर

Ld. Ro. is on special casual leave ... अग्रसारित

यह मेरी अपनी स्वरचित रचना है,
यह कहीं प्रकाशित नहीं हुई, न ही पुरस्कार मिला है।

अनंत 13/6/25

(अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर)
मोहर सहित

ok
A. Ahmad
13/06/25

पुरस्कार वितरण समारोह

स्वरचित रचना प्रतियोगिता (पश्चिम जिला) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

श्री विनोद गुप्ता, न्यायिक सहायक, प्रोत्साहन पुरस्कार (संयुक्त)

"मैं" - अर्थ और भावना

आज का आदमी केवल "मैं" हो गया है ।
"मैं" के चक्रव्यूह मे बिल्कुल खो गया है ॥

आज सब काम आदमी केवल अपने लिये करता है ।
खुशी ज्यादा हो या कम पहले अपनी झोली भरता है ॥

आज आदमी को केवल "मैं" के अर्थ की पहचान है।
और "मैं" की भावना से वह बिल्कुल अनजान है ॥

"मैं" के अर्थ और उसकी भावना मे बहुत अंतर है ।
एक तपता रेगिस्तान तो दूसरा पानी का समंदर है ॥

"मैं" के अर्थ मे स्वार्थ की भावना निहित रहती है ।
लेकिन उसकी भावना मे प्यार की गंगा बहती है ॥

आज तक आदमी अर्थ की मृगतृष्णा के पीछे फिरा है ।
तभी तो ऊपर उठने की बजाए सदा नीचे ही गिरा है ॥

अब आदमी को "मैं" के चक्रव्यूह को तोड़ना होगा ।
अर्थ को छोड़कर भावना से खुद को जोड़ना होगा ॥

इस भावना के पानी से ही वह अपने पाप धो सकेगा ।
और देश की धरती में सुनहरे कल के बीज बो सकेगा ॥

प्रेषक - विनोद गुप्ता

पुरस्कार वितरण समारोह

स्वरचित रचना प्रतियोगिता (पश्चिम जिला) तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली

श्री भूमेश चन्द्र वशिष्ठ, न्यायिक सहायक, प्रोत्साहन पुरस्कार (संयुक्त)

आत्मग्लानि

आत्मग्लानि एक वो अनुभुति है, जिसमें मनुष्य किलसने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता जिसको पश्चताप की अश्रुधारा भी नहीं धो सकती । आत्मग्लानि हमारे मन में चल रहे उस अन्तरद्वन्द का परिणाम है जो हमारी संकुचित व स्वार्थी मानसिकता और कर्तव्यपरायणता व मानवता के बीच चलता रहता है । इस द्वन्द में कभी-कबार जब मानवता विजयी होती है तो एक सुखद अहसास होता है कि मनुष्य जन्म लेना सार्थक हुआ अन्यथा संकुचित व स्वार्थी मानसिकता सदैव मानवता के ऊपर हावी रही है ।

कर्तव्यपरायणता, सिद्धान्त, शिष्टाचार, सदाचार जैसे भारी भरकम शब्द सदैव दूसरों पर थोपने के लिए होते है स्वयं के लिए परिस्थितियाँ जिम्मेवार होती है। दैनिक जीवन में सुबह से शाम तक कितने कर्तव्य निभाते है, यह बात स्वयं के अंतकरण में झाँक कर देखे दूसरों के सामने तो हम चाहे जितना चाहे दिखावा कर सकते है, तेज आवाज से दबा सकते हैं लेकिन स्वयं से झूठ नहीं बोल सकते । मानवीय गुण है अपने लिए, अपने अपनों के लिए एक अलग कोना होता है जिसे सॉफ्ट कार्नर कहते है, जिसमें सुख, दुख, गमी, खुशी के लिए अलग ही अनुभुति होती है जिसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप कतई मंजूर नहीं । बाकी सब के लिए उसकी परिस्थिति कैसी है इस बात पर निर्भर करेगा या फिर उससे हम अपना कौन से स्वार्थ की भरपाई कर सकते है या पहले कभी इस ने हमारा कोई काम किया हो ।

जब भी किसी लाचार, जरूरतमंद को देखता हूँ एक बार जमीर जागता है और दूसरे ही क्षण किन्तु, परन्तु के प्रश्न चिन्ह खडे हो जाते है और सवाल करते है **मैं ही क्यों** ? जवाब मिलता है **"छोडो जाने दो, हमें क्या ?"**

एक मध्यमवर्गीय परिवार जिसकी रीढ की हडडी उस घर का कमाऊ पूत होता है और वो हडडी इतनी मजबूत होती है जिस पर बूढे माँ-बाप की सेवा का भार, अपने बच्चों की परवरिश, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी और सामाजिक और आर्थिक स्थिति बनाए रखने का दायित्व होता है। अब अगर इन सभी रिश्तों और अपेक्षाओं का भार उठाने वाली रीढ की हडडी ही कमजोर पड जाए या किसी कारण से स्वयं का भार उठाना भी भारी हो जाए तो उस परिस्थिति को मन में सोच कर भी सारे शरीर में सिहरन सी दौडने लगती हैं । एक अच्छा खासा परिवार सकते में आ जाता है और सवाल उठ खडा होता है **"अब क्या होगा ?"** यशपाल जो अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला जो अपने परिवार को अच्छे से चला रहा था । अचानक से पैरालाइस ने यशपाल के शरीर में दस्तक दी तो ना चाहते हुए भी अपनी बिमारी परिवार से साझा करनी पडी । फिर सिलसिला शुरू होता है दवाईयों का, डॉक्टर-वैद्य, अस्पताल सब जगह चक्कर लगाने का । धीरे-धीरे थोडी बहुत जमा पूँजी दवाईयों में बहने लगी लेकिन शरीर में जरा भी सुधार नजर नहीं आता था । मिलने-जुलने वाले, दोस्त रिश्तेदार आते निःशुल्क सलाह देते टेंसन मत लेना और झूठी सांत्वना ठीक हो जाएगा देकर चले जाते ।

कृ.पृ.उ.

6

क्या बच्चों की पढाई का खर्चा, घर का राशन-पानी का खर्चा, अपनी बिमारी में दवाईयों का खर्चा इन सब की टेंशन ना चाहते हुए भी उस बिमार और लाचार को खोखला नहीं करती होगी ? नतीजा यह हुआ कि दिन प्र दिन यशपाल की शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती गई और शरीर सिर्फ सूखी हडडीयों का पिंजर बन कर रह गया ।

हर सुबह एक आस, उम्मीद ले कर आती, हमारी फरियाद उसके पास पहुँच जाए जो सबकी सुनता है और किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं चाहता । क्या पता मासूम बच्चों को वो अनाथ होने से बचा ले जिसे हम दयासागर कहते है, उसकी दया यशपाल के परिवार पर बिखर जाए ।

धीरे-धीरे वो दिन आ ही गया जब आस की डोरी टूट गई, साँस का दामन शरीर से छूट गया और पंछी सारे बंधन तोडकर, परिवार को उनके हाल पर छोडकर फुर्र से उड गया । यशपाल अपने पीछे अगर कुछ छोडकर गया तो अपना रोता-बिलखता परिवार, और स्वजनों के लिए छोड गया प्रश्नों की वो झडी जिनके उत्तर ताउम्र खोजते रहेगें ।

आत्मग्लानि अपनी दशा के लिए, अपने कर्मो के प्रति जो यशपाल के अन्दर थी, आत्मग्लानि उन स्वजनों के लिए जो कुछ कर सकते थे लेकिन अपने मन में चल रहे प्रश्नों के बवंडर में ही फंस कर रह गए और कुछ कर न सके । किसी और को एहसास हो ना हो लेकिन वो जो सभी प्रकार की मनोदशा से ऊपर है, वो सबके अन्दर चल रही आत्मग्लानि का साक्षात्कार है और वहीं इससे बाहर निकालने में सक्षम हैं ।

सच्ची आत्मग्लानि वह है जो सिर्फ ह्रदय से महसूस न हो बल्कि सुधार के लिए, किसी की मदद के लिए कुछ कर सके नाकि सिर्फ प्रश्नों के भंवर में फंस कर रह जाए । किसी कवि ने क्या खूब कहा है:-

"जिस ने सीखा जग हित जीना, वह जग का श्रृंगार हैं ।
हर सच्चा मानव धरती पर, मनुज नहीं अवतार हैं।।"

भूमेश

(भूमेश चन्द्र वशिष्ठ)